# भाग–स
# सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

# अध्याय-VII
# राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

# अध्याय–VII

## राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

### 7.1 प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन बिहार में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) के अन्तर्गत उन सरकारी कम्पनियों को शामिल किया गया है जिनमें राज्य सरकार की धारिता 51 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा ऐसी सरकारी कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ भी शामिल है। राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संविधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगमों और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली या नियंत्रित अन्य कम्पनियों को भी एस.पी.एस.ई. के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या केन्द्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में दर्शाया गया है।

राज्य में 2019–20 तक एस.पी.एस.ई. की कुल संख्या 79 थी जबकि विगत तीन वर्षों यथा 2017–18, 2018–19 तथा 2019–20 तक के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर इस प्रतिवेदन में कुल 20 एस.पी.एस.ई. (17 सरकारी कम्पनियाँ, एक सांविधिक निगम तथा दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) को शामिल किया गया है।

#### 7.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अर्न्तगत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं और उस तरीके पर निर्देश देते हैं जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करनेवाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

#### 7.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार की कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति, जैसा कि उनके लेखाओं से प्रकट होता है, को दर्शाया गया है।

वर्ष 2019–20 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एस.पी.एस.ई. के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का प्रभाव इस प्रतिवेदन में दिया गया है।

### 7.1.3 एस.पी.एस.ई. की संख्या

31 मार्च 2020 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 79 एस.पी.एस.ई. थे। इनमें 72 सरकारी कम्पनियाँ, तीन सांविधिक निगमें तथा चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ शामिल थी।

| | |
|---|---|
| **सरकारी कम्पनियाँ** | **72** |
| **सांविधिक निगमें** | **3** |
| **सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ** | **4** |
| **कुल एस0पी0एस0ई0** | **79** |

इनमें से, 20 एस.पी.एस.ई. के वित्तीय निष्पादन का सारांश इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है और इन एस.पी.एस.ई. की प्रकृति **तालिका 7.1** में दर्शाई गई है:

**तालिका 7.1**
**इस प्रतिवेदन में शामिल एस.पी.एस.ई. का कार्यक्षेत्र और प्रकृति**

| एस.पी.एस.ई. की प्रकृति | एस.पी.एस.ई. की कुल संख्या | प्रतिवेदन में शामिल एस.पी.एस.ई. की संख्या | | | | इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए एस.पी.एस.ई. की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष तक के लेखे | | | कुल | |
| | | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | | |
| कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ | 30 | 2 | 10 | 4 | 16 | 14 |
| सांविधिक निगमें | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| **सरकारी कम्पनियों/निगमों की कुल संख्या** | **33** | **2** | **11** | **4** | **17** | **16** |
| सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| **कार्यशील एस.पी.एस.ई. की कुल संख्या** | **37** | **2** | **12** | **5** | **19** | **18** |
| अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| अकार्यशील सांविधिक निगमें | - | - | - | - | - | - |
| **अकार्यशील एस.पी.एस.ई. की कुल संख्या** | **42** | **0** | **1** | **0** | **1** | **41** |
| **कुल** | **79** | **2** | **13** | **5** | **20** | **59** |

2019–20 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों/सांविधिक निगमों के विवरण ***परिशिष्ट 7.1अ*** में दिये गये है।

| 31 मार्च 2020 तक का इस प्रतिवेदन में शामिल एस.पी.एस.ई. के वित्तीय निष्पादन का सारांश (सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमें) | |
|---|---|
| एस.पी.एस.ई. की संख्या | 79 |
| शामिल किए गए एस.पी.एस.ई. | 20 |
| प्रदत्त पूँजी (20 एस.पी.एस.ई.) | ₹ 38,644.41 करोड़ |
| दीर्घावधि ऋण (सात एस.पी.एस.ई.) | ₹ 6,352.88 करोड़ |
| शुद्ध लाभ (10 एस.पी.एस.ई.) | ₹ 641.60 करोड़ |
| शुद्ध हानि (छः एस.पी.एस.ई.) | ₹ 3,220.84 करोड़ |
| शून्य लाभ/हानि (चार एस.पी.एस.ई.)[206] | |
| घोषित लाभांश (दो एस.पी.एस.ई.) | ₹ 7.28 करोड़ |
| टर्नओवर (20 एस.पी.एस.ई.) | ₹ 19,376.01 करोड़ |
| निवल मूल्य (20 एस.पी.एस.ई.) | ₹ 20,914.02 करोड़ |

**स्रोत** : *एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।*

इस प्रतिवेदन में 59 एस.पी.एस.ई., जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया में थे या समाप्त/परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं किये गये थे, को शामिल नहीं किया गया है। इन एस.पी.एस.ई. को ***परिशिष्ट 7.1ब*** में दर्शाया गया है।

### 7.1.4 राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

इस प्रतिवेदन में शामिल 20 एस.पी.एस.ई. के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एस.पी.एस.ई. की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2020 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की अवधि के लिए एस.पी.एस.ई. के टर्नओवर एवं बिहार राज्य के जी.एस.डी.पी. का विवरण नीचे दिये गये **तालिका 7.2** में दिया गया है:

**तालिका 7.2**

**एस.पी.एस.ई. के टर्नओवर एवं बिहार के जी.एस.डी.पी. का विवरण**

***(₹ करोड़ में)***

| विवरण | 2017-18 | | | 2018-19 | | | 2019-20 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ऊर्जा | गैर – ऊर्जा | कुल | ऊर्जा | गैर – ऊर्जा | कुल | ऊर्जा | गैर – ऊर्जा | कुल |
| टर्नओवर | 12,115.85 | 1,530.63 | 13,646.48 | 15,077.91 | 2,298.11 | 17,376.02 | 17,077.90 | 2,298.11 | 19,376.01 |
| टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन | - | - | - | 24.45 | 50.14 | 27.33 | 13.26 | 0.00 | 11.51 |
| बिहार राज्य का जी.एस.डी.पी. | 4,63,746.00 | | | 5,30,363.00 | | | 6,11,804.00 | | |
| जी.एस.डी.पी. में पिछले वर्ष के जी.एस.डी.पी. की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन | - | | | 14.36 | | | 15.36 | | |
| टर्नओवर का बिहार के जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत | 2.61 | 0.33 | 2.94 | 2.84 | 0.43 | 3.27 | 2.79 | 0.38 | 3.17 |

स्रोत : *बिहार सरकार के जी.एस.डी.पी. आँकड़ों तथा एस.पी.एस.ई. के टर्नओवर आँकड़ों के आधार पर संकलित।*

[206] 20 एस0पी0एस0ई0 में से 2019–20 के दौरान चार एस0पी0एस0ई0 ऐसे थे जिन्होंने लाभ अथवा हानि अर्जित नहीं किया था क्योंकि या तो उनका कारोबार शुरू नहीं हुआ था या उनके लाभ/कुल व्ययों को उनके अनुषंगी कम्पनियों में बाँट दिया गया था या लाभ को लाभार्थियों में बाँट दिया गया था।

ऊर्जा क्षेत्र के आठ एस.पी.एस.ई. का टर्नओवर 2017–18 में ₹ 12,115.85 करोड़ से बढ़कर 2019–20 में ₹ 17,077.90 करोड़ हो गया। 2017–18 से 2019–20 के दौरान टर्नओवर की वृद्धि दर 24.45 प्रतिशत तथा 13.26 प्रतिशत के बीच रही जबकि जी.एस.डी.पी. का वृद्धि दर इसी अवधि में 14.36 प्रतिशत तथा 15.36 प्रतिशत के बीच रही। पिछले दो वर्षों के दौरान जी.एस.डी.पी. की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर[207] 14.86 प्रतिशत रही। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर विभिन्न समयावधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जी.एस.डी.पी. के 14.86 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के विरूद्ध ऊर्जा क्षेत्र के एस.पी.एस.ई. के टर्नओवर में पिछले दो वर्षों में 18.72 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप जी.एस.डी.पी. में ऊर्जा क्षेत्र के इन एस.पी.एस.ई. के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2.61 प्रतिशत से बढ़कर 2.79 प्रतिशत हो गई।

पुनः, 12 गैर–ऊर्जा एस.पी.एस.ई. का टर्नओवर 2017–18 में ₹ 1,530.63 करोड़ से बढ़कर 2019–20 में ₹ 2,298.11 करोड़ हो गया। 2017–18 से 2018–19 के दौरान टर्नओवर की वृद्धि दर 50.14 प्रतिशत रही। जी.एस.डी.पी. के 14.86 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के विरुद्ध इन एस.पी.एस.ई. के टर्नओवर में पिछले दो वर्षों में 22.53 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई।

## 7.2 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

31 मार्च 2020 के अन्त तक 20 सरकारी कम्पनियों और निगमों में अंश पूँजी और ऋणों में निवेश की राशि **तालिका 7.3** में दी गयी है:

**तालिका 7.3**
**सरकारी कम्पनियों और निगमों में अंश पूँजी और ऋण**

*(₹ करोड़ में)*

| निवेश के स्रोत | 31 मार्च 2019 के अनुसार | | | 31 मार्च 2020 के अनुसार | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अंश पूँजी | दीर्घकालिक ऋण | कुल | अंश पूँजी | दीर्घकालिक ऋण | कुल |
| राज्य सरकार | 35,269.93 | 1,383.22 | 36,653.15 | 38,349.13 | 1,499.78 | 39,848.91 |
| केन्द्र सरकार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य | 209.67 | 3,436.76 | 3,646.43 | 295.28 | 4,853.10 | 5,148.38 |
| **कुल निवेश** | **35,479.60** | **4,819.98** | **40,299.58** | **38,644.41** | **6,352.88** | **44,997.29** |
| कुल निवेश में राज्य सरकार के निवेश का प्रतिशत | 99.41 | 28.70 | 90.95 | 99.24 | 23.61 | 88.56 |

***स्रोत*** : एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।

### 7.2.1 अंश पूँजी धारिता

2019–20 के दौरान, इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए 20 एस.पी.एस.ई. में अंकित मूल्य पर कुल अंश पूँजी धारिता में ₹ 3,164.81 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई थी। बिहार सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में अतिरिक्त पूँजी निवेश के कारण एस.पी.एस.ई. में अंकित मूल्य पर राज्य सरकार की अंश पूँजी धारिता 2018–19 में ₹ 35,269.93 करोड़ से बढ़कर 2019–20 में ₹ 38,349.13 करोड़ हो गई। आगे यह भी पाया गया कि राज्य में विभिन्न विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा कम्पनियों के अंश पूँजी में ₹ 3,079.20 करोड़ का नया निवेश किया गया था।

[207] *चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर = [{(2019–20 का मूल्य/2017–18 का मूल्य)^(1/2 वर्ष) –1}×100*

सरकारी कम्पनियों और निगमों में 31 मार्च 2020 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य और अन्य द्वारा अंश पूँजी में धारिता को आरेख 7.1 में दर्शाया गया है :

**आरेख 7.1**
**एस.पी.एस.ई. में अंश पूँजी निवेश**

**(₹ करोड़ में)**

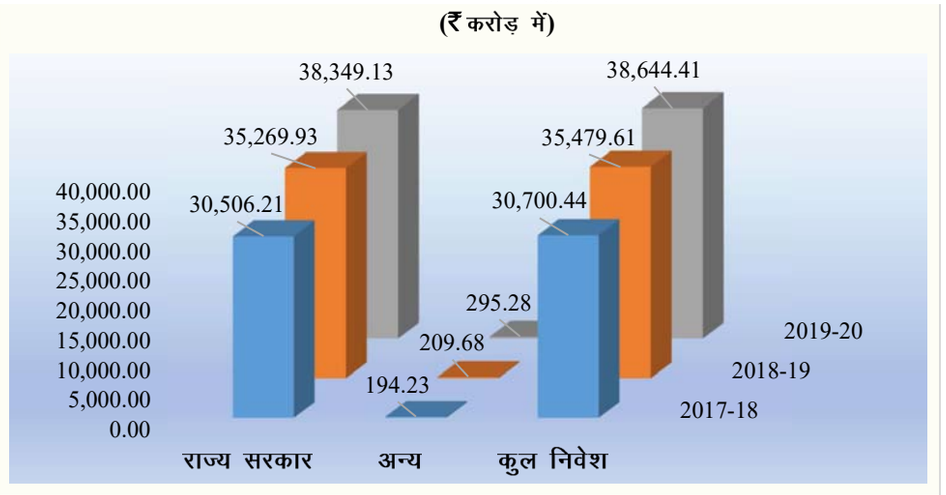


वर्ष 2019–20 तक राज्य सरकार द्वारा एस.पी.एस.ई. के अंश पूँजी में किए गए महत्वपूर्ण निवेश का विवरण **तालिका 7.4** में दिया गया है।

**तालिका 7.4**
**राज्य सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश**

| एस.पी.एस.ई. का नाम | विभाग का नाम | राशि (₹ करोड़ में) | 20 एस.पी.एस.ई. में कुल निवेश के विरूद्ध धारिता का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस.बी.पी.डी.सी.एल.) | ऊर्जा | 12,267.96 | 31.75 |
| नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन.बी.पी.डी.सी.एल.) | ऊर्जा | 11,653.84 | 30.16 |
| बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बी.एस.पी.टी.सी.एल.) | ऊर्जा | 7,949.99 | 20.57 |
| बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड (बी.एस.पी.जी.सी.एल.) | ऊर्जा | 4,812.96 | 12.45 |
| बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी.एस.एफ.सी.) | उद्योग | 39.95 | 0.10 |

## सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में निवेश

सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को **तालिका 7.5** में दर्शाया गया है:

**तालिका 7.5**
**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में अंश पूँजी की संरचना**

*(₹ करोड़ में)*

| क्रम सं0 | एस.पी.एस.ई. का नाम | प्रदत्त पूँजी | | | कुल प्रदत्त पूँजी |
|---|---|---|---|---|---|
| | | बिहार सरकार | भारत सरकार | अन्य | |
| 1 | भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 0.05 | 0.00 | 0.05 | **0.10** |
| 2 | पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 0.05 | 0.00 | 0.05 | **0.10** |
| | **कुल** | **0.10** | **0.00** | **0.10** | **0.20** |

### 7.2.2 राज्य सरकार की कम्पनियों तथा निगमों को दिया गया ऋण

#### 7.2.2.1 31 मार्च 2020 को बकाया दीर्घावधि ऋणों की गणना

एस.पी.एस.ई. के बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण **तालिका 7.6** में दर्शाया गया है :

**तालिका 7.6**
**एस.पी.एस.ई. में दीर्घावधि ऋण**

*(₹ करोड़ में)*

| ऋण का स्रोत | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|
| राज्य सरकार | 1,426.41 | 1,383.22 | 1,499.78 |
| केन्द्र सरकार | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य | 6,100.72 | 3,436.76 | 4,853.10 |
| **कुल निवेश** | **7,527.13** | **4,819.98** | **6,352.88** |

***स्रोत*** : एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2020 को 20 एस.पी.एस.ई. में से सात[208] में सभी स्रोतों से बकाया कुल दीर्घावधि ऋण 6,352.88 करोड़ थे। शेष 13 एस.पी.एस.ई. के पास कोई दीर्घावधि ऋण 31 मार्च 2020 को नहीं थे। वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण में ₹ 73.37 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई थी जबकि अन्य स्रोतों के ऋण में ₹ 1,247.62 करोड़ की कमी दर्ज की गई थी। 31 मार्च 2020 तक कुल ऋण में राज्य सरकार का ऋण ₹ 1,499.78 करोड़ (23.61 प्रतिशत) था।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल ऋण का ₹ 1,240.33 करोड़ (82.70 प्रतिशत) ऊर्जा कम्पनियों के पास बकाया था तथा शेष (₹ 259.45 करोड़) अन्य कम्पनियों के पास था, जबकि अन्य स्रोतों से सभी ऋण ऊर्जा कम्पनियों को प्राप्त हुए थे।

वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा मूलधन तथा ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

#### 7.2.2.2 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों के प्रति कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले तरीकों में से एक है कि क्या कम्पनी अपने समस्त ऋण चुकाने में समर्थ है। ऋण चुकाने योग्य माने जाने के लिए एक इकाई की परिसंपत्ति का मूल्य उसके ऋण/कर्ज की राशि से अधिक होना चाहिए। सात एस.पी.एस.ई., जिनके पास 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण थे, में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर दीर्घावधि ऋणों का कवरेज **तालिका 7.7** में दर्शाया गया है :

[208] *बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।*

### तालिका 7.7: कुल परिसंपत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋणों का कवरेज

*(₹ करोड़ में)*

| एस.पी.एस.ई. की प्रकृति | सकारात्मक कवरेज | | | | नकारात्मक कवरेज | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एस.पी. एस.ई. की संख्या | दीर्घावधि ऋण | संपत्ति | ऋणों के साथ संपत्ति का प्रतिशत | एस.पी. एस.ई. की संख्या | दीर्घावधि ऋण | संपत्ति | ऋणों के साथ संपत्ति का प्रतिशत |
| सांविधिक निगमें | - | - | - | - | 1 | 228.47 | 223.91 | 98.00 |
| सरकारी कम्पनियाँ | 6 | 6,124.41 | 1,14,181.11 | 1,864.36 | - | - | - | - |
| **कुल** | **6** | **6,124.41** | **1,14,181.11** | **1,864.36** | **1** | **228.47** | **223.91** | **98.00** |

सात एस.पी.एस.ई. में से एक एस.पी.एस.ई.[209] के कुल संपत्ति का मूल्य बकाया दीर्घावधि ऋण से कम था।

### 7.2.3 एस.पी.एस.ई. को बजटीय सहायता

बिहार सरकार द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में एस.पी.एस.ई. को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2020 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों के दौरान एस.पी.एस.ई., जो इस प्रतिवेदन में शामिल किये गये है, को अंश पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का संक्षिप्त विवरण **तालिका 7.8** में दर्शायी गयी है :

### तालिका 7.8
### एस.पी.एस.ई. को दिये गये बजटीय सहायता का विवरण

*(₹ करोड़ में)*

| विवरण[210] | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एस.पी.एस.ई. की संख्या | राशि | एस.पी.एस.ई. की संख्या | राशि | एस.पी.एस.ई. की संख्या[211] | राशि |
| **ऊर्जा** | | | | | | |
| अंश पूँजी का बहिर्गमन (i) | 1 | 8,970.63 | 1 | 5,035.36 | 1 | 3,079.20 |
| प्रदत्त ऋण (ii) | 1 | 20.75 | 4 | 440.78 | 3 | 116.56 |
| प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii) | 3 | 2,650.49 | 3 | 7,521.42 | 2 | 6,685.17 |
| **कुल बहिर्गमन (i+ii+iii) ऊर्जा** | **5** | **11,641.87** | **5** | **12,997.56** | **4** | **9,880.93** |
| **गैर–ऊर्जा** | | | | | | |
| अंश पूँजी का बहिर्गमन (i) | 2 | 0.10 | 1 | 9.50 | - | - |
| प्रदत्त ऋण (ii) | - | - | 1 | 16.00 | - | - |
| प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii) | - | - | 2 | 400.24 | - | - |
| **कुल बहिर्गमन (i+ii+iii) गैर–ऊर्जा** | **2** | **0.10** | **2** | **425.74** | **-** | **-** |
| **कुल बहिर्गमन** | **7** | **11,641.97** | **7** | **13,423.30** | **4** | **9,880.93** |

***स्रोत** : एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।*

वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान इन एस.पी.एस.ई. को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 9,880.93 करोड़ से ₹ 13,423.30 करोड़ के मध्य रही। वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त कुल ₹ 9,880.93 करोड़ में ₹ 3,079.20 करोड़ अंश पूँजी के रूप में राज्य में विभिन्न विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा ₹ 6,685.17 करोड़ अनुदान के रूप

---

[209] *बिहार राज्य वित्तीय निगम।*

[210] *यह राशि केवल राज्य के बजट से बहिर्गमन दर्शाती है।*

[211] *बिहार सरकार ने दो डिस्कॉम्स तथा दो अनुषंगियों को उनके होल्डिंग कंपनी यथा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की ओर से प्रत्यक्ष पूँजी जारी की जिसके विरूद्ध इन अनुषंगियों ने अपनी होल्डिंग कंपनी को अंश जारी किए। अतः जारी की गई सरकारी निधि के लिए, अनुषंगियों की ओर से केवल होल्डिंग कंपनी को विचारित किया गया है। शेष एक ऊर्जा क्षेत्र का उपक्रम एक संयुक्त उपक्रम है।*

में राजस्व प्राप्तियाँ तथा बिजली खरीद के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों को प्रदान किया गया था। तालिका से यह स्पष्ट होता है कि बजटीय सहायता वर्ष 2018–19 की तुलना में 2019–20 में घट गई थी।

## 7.3 निवेश पर प्रतिफल

### 7.3.1 एस.पी.एस.ई. द्वारा अर्जित लाभ

लाभ अर्जित करने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या 2018–19 में 12 की तुलना में, 2019–20 में 10 थी। अर्जित लाभ वर्ष 2018–19 के ₹ 321.95 करोड़ से बढ़कर 2019–20 में ₹ 641.60 करोड़ हो गयी थी। 20 एस.पी.एस.ई. में से पाँच एस.पी.एस.ई. वर्ष 2017–18 से तथा एक एस.पी.एस.ई. 2018–19 से हानि वहन करते आ रहे थे। 10 एस.पी.एस.ई., जिन्होंने वर्ष 2019–20 के दौरान लाभ अर्जित किया, की निवल सम्पति 10,943.09 करोड़ थी। वर्ष 2018–19 में 12 एस.पी.एस.ई. का अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर.ओ.ई.) 3.23 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019–20 में 10 एस.पी.एस.ई. का अंश पूँजी पर प्रतिफल 5.86 प्रतिशत था। वर्ष 2019–20 में छः हानि वहन करने वाले एवं चार बिना लाभ/हानि वाले एस.पी.एस.ई. सहित सभी 20 एस.पी.एस.ई. का अंश पूँजी पर प्रतिफल –12.33 प्रतिशत था।

2017–18 से 2019–20 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या आरेख 7.2 में दर्शायी गयी है:

**आरेख 7.2**

**विगत तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों की संख्या तथा उनका अंश पूँजी पर प्रतिफल**

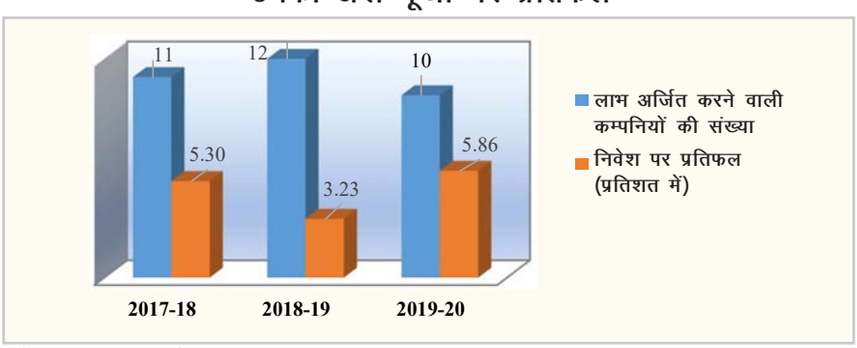


***स्रोत** : एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।*

2019–20 के दौरान अधिकतम लाभ अर्जित करने वाले क्षेत्रों को **तालिका 7.9** में दर्शाया गया है।

**तालिका 7.9**

**शीर्ष क्षेत्र जिन्होंने वर्ष 2019–20 के दौरान अधिकतम लाभ का योगदान दिया**

| क्षेत्र | लाभ अर्जित करने वाले एस.पी.एस.ई. | शुद्ध अर्जित लाभ *(₹ करोड़ में)* | सभी एस.पी.एस.ई. के कुल लाभ से लाभ का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| ऊर्जा | 2 | 491.79 | 76.65 |
| गैर–ऊर्जा | 8 | 149.81 | 23.35 |
| **कुल** | **10** | **641.60** | **100.00** |

***स्रोत** : एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।*

2019–20 के दौरान, अर्जित किये गये ₹ 641.60 करोड़ के कुल लाभ में उर्जा क्षेत्र का योगदान 76.65 प्रतिशत था। वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा लाभ अर्जित करने वाले एस.पी.एस.ई. की सूची **तालिका 7.10** में दी गई है।

**तालिका 7.10**
**एस.पी.एस.ई. की सूची जिसने ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया**

| क्र0 सं0 | एस.पी.एस.ई. का नाम | लेखाओं के अंतिमीकरण का वर्ष | शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड | 2019-20 | 460.16 |
| 2 | बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड | 2017-18 | 37.99 |
| 3 | बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2018-19 | 35.78 |
| 4 | बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड | 2019-20 | 31.63 |
| 5 | भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 2018-19 | 23.86 |
| 6 | बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड | 2017-18 | 14.95 |
| 7 | बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2017-18 | 14.13 |
| 8 | बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड | 2018-19 | 13.92 |

***स्रोत** : एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।*

### 7.3.2 एस.पी.एस.ई. द्वारा लाभांश का भुगतान

इस प्रतिवेदन में शामिल एस.पी.एस.ई. के संबंध में वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान लाभांश भुगतान का विवरण **तालिका 7.11** में दिया गया है:

**तालिका 7.11**
**वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान एस.पी.एस.ई. द्वारा लाभांश भुगतान**

| वर्ष | कुल एस.पी.एस.ई. जहाँ बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी में निवेश किया गया | | एस.पी.एस.ई. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया | | एस.पी.एस.ई. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया | | लाभांश भुगतान अनुपात (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एस.पी.एस.ई. की संख्या | बिहार सरकार द्वारा निवेशित अंश पूँजी (₹ करोड़ में) | एस.पी.एस.ई. की संख्या | अर्जित लाभ (₹ करोड़ में) | एस.पी.एस.ई. की संख्या | एस.पी.एस.ई. द्वारा घोषित /भुगतान किया गया लाभांश (₹ करोड़ में) | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=7/5×100** |
| 2017-18 | 19 | 30,506.21 | 11 | 433.81 | 2 | 7.28 | 1.68 |
| 2018-19 | 20 | 35,269.93 | 12 | 321.95 | 2 | 7.28 | 2.26 |
| 2019-20 | 20 | 38,349.13 | 10 | 641.60 | 2 | 7.28 | 1.13 |

***स्रोत** : एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।.*

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी जिसके तहत सभी लाभ अर्जित करने वाले एस.पी.एस.ई. को न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना आवश्यक हो। वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान 10 से 12 एस.पी.एस.ई. ने लाभ अर्जित किया। हालांकि, उक्त अवधि के दौरान केवल दो[212] एस.पी.एस.ई. ने बिहार सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान किया। उक्त अवधि के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात 1.68 प्रतिशत, 2.26 प्रतिशत तथा 1.13 प्रतिशत थी।

## 7.4 ऋण शोधन

### 7.4.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व के आय को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने

[212] *बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹6.02 करोड़ कर सहित) तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹1.26 करोड़ कर सहित)।*

व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 20 एस.पी.एस.ई. में से सात[213] एस.पी.एस.ई. में विभिन्न स्रोतों से कुल दीर्घकालिक ऋण बकाया थे। शेष 13 एस.पी.एस.ई. के पास 31 मार्च 2020 तक कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं थे। वर्ष 2019–20 के दौरान, केवल पाँच एस.पी.एस.ई. ने अपने लेखाओं में ब्याज की राशि को प्रावधानित किया तथा शेष दो[214] एस.पी.एस.ई. ने अपने लेखाओं में ब्याज की राशि को प्रावधानित नहीं किया था। वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान बकाया ऋण वाले एस.पी.एस.ई. के सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 7.12** में दर्शाया गया है।

**तालिका 7.12**
**ब्याज व्याप्ति अनुपात**

***(₹ करोड़ में)***

| वर्ष | ब्याज | ब्याज एवं करों से पूर्व आय | एस.पी.एस.ई. की संख्या | एस.पी.एस.ई. की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात >= 1 | एस.पी.एस.ई. की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात < 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **सांविधिक निगमें** | | | | | |
| 2017-18 | 18.24 | -27.75 | 1 | - | 1 |
| 2018-19 | 18.09 | 4.64 | 1 | - | 1 |
| 2019-20 | 18.09 | 4.64 | 1 | - | 1 |
| **सरकारी कम्पनियाँ** | | | | | |
| 2017-18 | 526.86 | -2,173.47 | 5 | 2 | 3 |
| 2018-19 | 392.64 | -1,344.01 | 4 | 2 | 2 |
| 2019-20 | 506.31 | -2,000.10 | 4 | 2 | 2 |

***स्रोत** : एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।.*

वर्ष 2019–20 के दौरान, एक सांविधिक निगम यथा बिहार राज्य वित्तीय निगम और दो राज्य सरकार की कम्पनियों अर्थात् साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। इससे पता चलता है कि मार्च 2020 तक अत्यधिक हानि वहन करने के कारण एस.पी. एस.ई. की आय उनके ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह दिवालियापन के उच्च जोखिम को भी इंगित करता है।

### 7.4.2 राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि–वार विश्लेषण

31 मार्च 2020 तक, बिहार सरकार द्वारा पाँच एस.पी.एस.ई. को प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋणों पर ₹ 471.58 करोड़ का ब्याज बकाया था। एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि–वार विश्लेषण **तालिका 7.13** में दर्शाया गया है:

---

[213] *बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।*

[214] *बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।*

**तालिका 7.13**
**राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज**

*(₹ करोड़ में)*

| क्र0 सं0 | एस.पी.एस.ई. का नाम | ऋण पर कुल बकाया ब्याज | 1 वर्ष से कम समय के लिए ऋण पर बकाया ब्याज | 1–3 वर्ष के लिए ऋण पर बकाया ब्याज | 3 वर्ष से अधिक समय के लिए ऋण पर बकाया ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड | 45.39 | 7.66 | 15.32 | 22.41 |
| 2 | साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड | 20.40 | 1.65 | 3.30 | 15.45 |
| 3 | बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड | 170.38 | 48.93 | 97.86 | 23.59 |
| 4 | बिहार राज्य वित्तीय निगम | 216.49 | 18.09 | 36.33 | 162.07 |
| 5 | बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 18.92 | - | - | 18.92 |
| | **कुल योग** | **471.58** | **76.33** | **152.81** | **242.44** |

तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 242.44 करोड़ का ब्याज तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था। बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस अवधि के दौरान बकाया ऋण के मूलधन के साथ–साथ ब्याज को चुकाने में भी विफल रहा क्योंकि कम्पनी अकार्यशील हो गई थी जबकि बिहार राज्य वित्तीय निगम कोई नया व्यवसाय अर्थात् नया उधार नहीं दे रही है।

## 7.5 सरकारी कम्पनियों की परिचालन दक्षता

### 7.5.1 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है, जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। आर.ओ.सी.ई. की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूँजी[215] द्वारा विभाजित करके की जाती है। प्रत्येक एस.पी.एस.ई. के आर.ओ.सी.ई. का विवरण ***परिशिष्ट 7.1 अ*** में दी गई है। वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान 20 एस.पी.एस.ई. का समेकित नियोजित पूँजी पर प्रतिफल **तालिका 7.14** में दर्शाया गया है।

**तालिका 7.14**
**नियोजित पूँजी पर प्रतिफल**

| क्षेत्र | एस.पी.एस.ई. की संख्या | ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में) | नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में) | आर.ओ.सी.ई. (%) |
|---|---|---|---|---|
| **2017-18** | | | | |
| ऊर्जा | 8 | -7,205.20 | 22,846.85 | -31.54 |
| गैर–ऊर्जा | 11 | 175.51 | 1,263.28 | 13.89 |
| **कुल** | **19** | **-7,029.69** | **24,110.13** | **-29.16** |
| **2018-19** | | | | |
| ऊर्जा | 8 | -1,643.11 | 24,297.58 | -6.76 |
| गैर–ऊर्जा | 12 | 201.70 | 1,319.89 | 15.28 |
| **कुल** | **20** | **-1,441.41** | **25,617.47** | **-5.63** |
| **2019-20** | | | | |
| ऊर्जा | 8 | -2,256.03 | 25,947.01 | -8.69 |
| गैर–ऊर्जा | 12 | 201.70 | 1,319.89 | 15.28 |
| **कुल** | **20** | **-2,054.34** | **27,266.90** | **-7.53** |

***स्रोत** : एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।*

[215] *नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।*

यह देखा गया कि 20 सरकारी कम्पनियों और निगमों का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान कम था, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा कम्पनियों के नियोजित पूँजी पर प्रतिफल में कमी थी।

### 7.5.2 सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आर.ओ.आर.आर.)

बिहार सरकार द्वारा 20 कम्पनियों में महत्वपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस प्रकार के निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। अतः निवेश पर प्रतिफल की गणना धन के वर्तमान मूल्य (पी.भी.) को ध्यान में रखकर की गई है ताकि बिहार सरकार द्वारा किए गए निवेश पर वास्तविक प्रतिफल को ज्ञात किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा एस.पी.एस.ई. में अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड दीर्घकालिक ऋण तथा पूँजी अनुदान के रूप में 2014–15 से लेकर 31 मार्च 2020 तक निवेश किया गया था, जिसपर राज्य सरकार द्वारा निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है।

20 एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निधियों के निवेश पर वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड दीर्घकालिक ऋण और पूंजीगत अनुदान को राज्य सरकार द्वारा निवेश माना गया है। इसके अलावा, उन मामलों में जहाँ एस.पी.एस.ई. को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में अंश पूँजी में परिवर्तित कर दिया गया था, अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की अंश पूँजी में जोड़ा गया है। राजस्व अनुदान और सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई धनराशि को निवेश के रूप में नहीं माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना हेतु सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की औसत दर को डिस्काउंट दर के रूप में अपनाया गया है, क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किए धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है।

इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2020 तक अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड ऋण और पूंजीगत अनुदान के रूप में 20 कंपनियों में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति तथा इसी अवधि में इन्हीं एस.पी.एस.ई. में राज्य सरकार के निवेश के वर्त्तमान मूल्य की समेकित स्थिति को **तालिका 7.15** में दर्शाया गया है:

**तालिका 7.15**
**2014–15 से 2019–20 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण और सरकारी निधियों के वास्तविक प्रतिफल की दर**

*(₹ करोड़ में)*

| वित्तीय वर्ष | वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई गई अंश पूँजी | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ब्याज मुक्त/ डिफाल्टेड ऋण तथा पूँजी अनुदान | वर्ष के दौरान कुल निवेश | सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में) | वर्ष के अंत में कुल निवेश | वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल | वर्ष के लिए कुल अर्जित आय | वास्तविक प्रतिफल की दर (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v=iii+iv | vi | vii=ii+v | viii={vii×(100+vi)/100} | ix={vii×vi)/100} | x | xi=x×100/viii |
| 2014-15 तक | 0.00 | 9,031.04 | 6,243.75 | 15,274.79 | 6.59 | 15,274.79 | 16,281.40 | 1,006.61 | -773.15 | -4.75 |
| 2015-16 | 16,281.40 | 6,931.91 | 1,423.49 | 8,355.40 | 6.58 | 24,636.80 | 26,257.90 | 1,621.10 | -826.30 | -3.15 |
| 2016-17 | 26,257.90 | 5,291.39 | 5,212.82 | 10,504.21 | 6.42 | 36,762.11 | 39,122.24 | 2,360.13 | -1,216.53 | -3.11 |
| 2017-18 | 39,122.24 | 8,970.73 | 222.89 | 9,193.62 | 6.13 | 48,315.86 | 51,277.62 | 2,961.76 | -7,718.69 | -15.05 |
| 2018-19 | 51,277.62 | 5,044.86 | 3,477.65 | 8,522.51 | 6.18 | 59,800.13 | 63,495.78 | 3,695.65 | -2,403.11 | -3.78 |
| 2019-20 | 63,495.78 | 3,079.20 | 1,966.80 | 5,046.00 | 5.68 | 68,541.78 | 72,434.95 | 3,893.17 | -2,579.24 | -3.56 |
| **कुल** | | **38,349.13** | **18,547.40** | **56,896.53** | | | | | | |

वर्ष के अंत में राज्य सरकार द्वारा इन 20 कम्पनियों में निवेशित धनराशि का शेष 2014–15 के ₹15,274.79 करोड़ से बढ़कर 2019–20 में ₹56,896.53 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने अंश पूँजी (₹29,318.09 करोड़) एवं पूंजीगत अनुदान (₹12,303.65 करोड़) के रूप में अतिरिक्त निवेश किया था। 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹72,434.95 करोड़ दर्ज किया गया।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 से 2019–20 के दौरान ऊर्जा कम्पनियों द्वारा हानि वहन करने के कारण इन एस.पी.एस.ई. की कुल अर्जित आय और वास्तविक प्रतिफल की दर नकारात्मक रही, जो यह इंगित करता है कि सरकार के निधियों की लागत वसूल करने के लिए निवेशित निधियों पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक हानियों का संचय किया है, जिससे वे व्यावसायिक रूप से अव्यवहारिक हो गए हैं।

### 7.5.3 एस.पी.एस.ई. में निवेश पर प्रतिफल (आर.ओ.आई.)

निवेश पर प्रतिफल[216] कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन को मापने का एक उपाय है जिसकी गणना कुल निवेश से शुद्ध आय को विभाजित कर की जाती है। 31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के लिए प्रतिवेदन में शामिल एस.पी.एस.ई. के क्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल **तालिका 7.16** में दर्शाया गया है।

**तालिका 7.16**
**क्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल**

| क्षेत्र | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|
| ऊर्जा | - 19.06 | - 4.08 | - 4.97 |
| गैर–ऊर्जा | 9.09 | 10.12 | 10.12 |
| **कुल** | **- 9.97** | **- 3.41** | **- 4.34** |

***स्रोत** : एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।*

[216] *निवेश पर प्रतिफल = (ब्याज, कर और अधिमान लाभांश के पूर्व शुद्ध लाभ/अंश पूँजी) × 100/ निवेश। जहाँ निवेश = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घकालिक ऋण।*

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 20 सरकारी कम्पनियों और निगमों का निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान कम था, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा कंपनियों में निवेश पर प्रतिफल में कमी थी।

### 7.5.4 एस.पी.एस.ई. में अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर.ओ.आई.)

अंश पूँजी पर प्रतिफल[217] कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन को मापने का एक उपाय है जिसकी गणना शेयरधारकों की अंश पूँजी से शुद्ध आय को विभाजित कर की जाती है। 31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के लिए एस.पी.एस.ई. की क्षेत्रवार अंश पूँजी पर प्रतिफल **तालिका 7.17** में दर्शाया गया है।

**तालिका 7.17**
**क्षेत्रवार अंश पूँजी पर प्रतिफल**

| क्षेत्र | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|
| ऊर्जा | -50.18 | -12.85 | -13.66 |
| गैर–ऊर्जा | 9.93 | 12.51 | 12.51 |
| **कुल** | **-46.55** | **-11.55** | **-12.33** |

***स्रोत** : एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।*

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 20 सरकारी कम्पनियों और निगमों का अंश पूँजी पर प्रतिफल वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान कम था, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा कंपनियों के अंश पूँजी पर प्रतिफल में कमी थी।

## 7.6 हानि वहन करने वाले एस.पी.एस.ई. एवं पूंजी का क्षरण

### 7.6.1 एस.पी.एस.ई. द्वारा वहन की गई हानि

वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान छः एस.पी.एस.ई. ने हानि वहन की जिसे **तालिका 7.18** में दर्शाया गया है:

**तालिका 7.18**
**2017–18 से 2019–20 के दौरान हानि वहन करने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या**
**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | हानि वहन करने वाले एस.पी.एस.ई. की संख्या | वर्ष के लिए शुद्ध हानि | संचित हानि | निवल मूल्य[218] |
|---|---|---|---|---|
| **सांविधिक निगमें** | | | | |
| 2017-18 | 1 | 45.99 | 498.40 | -410.51 |
| 2018-19 | 1 | 13.45 | 511.85 | -423.96 |
| 2019-20 | 1 | 13.45 | 511.85 | -423.96 |
| **सरकारी कम्पनियाँ** | | | | |
| 2017-18 | 5 | 8,106.51 | 14,792.71 | 8,814.09 |
| 2018-19 | 5 | 2,711.59 | 16,115.17 | 10,118.14 |
| 2019-20 | 5 | 3,207.39 | 19,619.86 | 9,122.64 |
| **कुल** | | | | |
| 2017-18 | 6 | 8,152.50 | 15,291.11 | 8,403.58 |
| 2018-19 | 6 | 2,725.04 | 16,627.02 | 9,694.18 |
| 2019-20 | 6 | 3,220.84 | 20,131.71 | 8,698.68 |

***स्रोत** : एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।*

[217] *अंश पूँजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के पूर्व शुद्ध लाभ/अंश पूँजी )×100 जहाँ अंश पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानि – स्थगित राजस्व व्यय।*

[218] *निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियां तथा स्थगित राजस्व व्यय। मुक्त संचय का अर्थ है लाभ से बनाए गए सभी संचय और अंश प्रीमियम लेखे किंतु इसमें संपत्तियों के पुर्नमूल्यांकन एवं ह्रास को वापस लेकर बनाए गए संचय सम्मिलित नहीं होते हैं।*

वर्ष 2019–20 के दौरान छः एस.पी.एस.ई. को हुई कुल ₹ 3,220.84 करोड़ की हानि में से ₹ 3,203.65 करोड़ की हानि तीन[219] एस.पी.एस.ई. द्वारा वहन की गई थी। एस.पी.एस.ई., जिन्होंने ₹ 10 करोड़ से अधिक की हानि वहन की, उसकी सूची **तालिका 7.19** में दर्शायी गयी है:

**तालिका 7.19**
**एस.पी.एस.ई. जिन्होंने ₹ 10 करोड़ से अधिक की हानि वहन की**

*(₹ करोड़ में)*

| क्र0 सं0 | एस.पी.एस.ई. का नाम | अंतिमीकृत लेखा का वर्ष | कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि |
|---|---|---|---|
| 1 | साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड | 2019-20 | -1,664.84 |
| 2 | नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड | 2019-20 | -1,282.88 |
| 3 | बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड | 2019-20 | -255.93 |
| 4 | बिहार राज्य वित्तीय निगम | 2018-19 | -13.45 |

***स्रोत** : एस.पी.एस.ई. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।*

### 7.6.2 सरकारी कम्पनियों में पूँजी का क्षरण

31 मार्च 2020 तक, 20 एस.पी.एस.ई. में से केवल छह एस.पी.एस.ई. ऐसे थे जिन्होंने ₹ 3,220.84 करोड़ की हानि वहन की। इन छह एस.पी.एस.ई. में 31 मार्च 2020 को ₹ 28,820.34 करोड़ के अंश पूँजी निवेश के विरूद्ध संचित हानि और निवल मूल्य क्रमशः ₹ 20,131.71 करोड़ और ₹ 8,698.68 करोड़ था।

तीन[220] एस.पी.एस.ई. की निवल संपति उनके अंश पूँजी निवेश के विरुद्ध पूरी तरह से क्षरित हो गई थी। इन तीनों एस.पी.एस.ई. की निवल संपत्ति 31 मार्च 2020 को ₹ 85.58 करोड़ के अंश पूँजी निवेश के विरूद्ध (–) ₹ 597.22 करोड़ थी। दो[221] एस.पी.एस.ई. की निवल संपत्ति उसके अंश पूँजी निवेश के आधे से भी कम थी और एक एस.पी.एस.ई. अर्थात् नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की निवल संपत्ति 31 मार्च 2020 के अंत में ₹ 11,653.84 करोड़ के अंश पूँजी निवेश के विरूद्ध ₹ 6,482.83 (55.63 प्रतिशत) करोड़ थी, जो उसकी रूग्ण वित्तीय क्षमता को दर्शाता है।

---

[219] *बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।*

[220] *बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड।*

[221] *बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।*